न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 120/।।/2009 –विरूद्व आदेश दिनांक 09.01.2009 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 7/2007–08 निगरानी

संतराम सिंह पुत्र सुखनन्दन खॅगार
निवासी ग्राम अरूसी तहसील लहार
जिला भिण्ड , मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूद्व

1– सुमित कुमार पुत्र ओमप्रकाश खॅगार
2– फुन्दी पुत्र पॅछी खॅगार
दोनों निवासी ग्राम अरूसी तहसील लहार
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री बी0डी0शर्मा)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक क–2 सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 3–9 – 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 7/2007–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09.01.2009 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम अरूसी के कोटवार फुन्दी ने नायव तहसीलदार वृत्त असवार तहसील लहार को आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वह 70 वर्ष का हो चुका है वृद्वावस्था के कारण कोटवार पद त्याग रहा है, उसके पुत्र के पुत्र सुमितकुमार को कोटवार नियुक्त किया जावे। नायव तहसीलदार असवार ने प्र.क. 2/05–06 अ 56 पंजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 20.01.2006 से सुमितकुमार को ग्राम अरूसी के कोटवार पद पर अस्थाई–रूप से नियुक्ति प्रदान की। इस आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लहार को अपील करने पर प्रकरण कमांक 7/2005–06 में पारित आदेश दि. 14.12.2006 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 20.1.06 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 69/2006–07 निगरानी में पारित आदेश

दिनांक 17.9.2007 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी लहार का आदेश दिनांक 14.12.06 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 07/2007–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09 जनवरी, 2009 से निगरानी अस्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक एंव अनावेदक क्र–1 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्र–2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय हैं

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में वही तथ्य दोहराये हैं जो उन्होंने निगरानी मेमो में अंकित किये है। अनावेदक क्र–1 के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि अपर आयुक्त एंव कलेक्टर भिण्ड के न्यायालयों के निष्कर्ष विस्तृत विवेचना कर निकाले गये है जिनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर प्रकरण में मुख्य–रूप से दो बिन्दु विचार योग्य हैं । प्रथम यह कि नायव तहसीलदार के समक्ष आवेदन करते समय अनावेदक क्र–1 निर्धारित आयु का नहीं है – दूसरा बिन्दु यह है कि आवेदक भी उसी खानदान का है जिस खानदान का अनावेदक क्र–1 है जिसके कारण अनावेदक क्र–1 को कोटवार पद के लिये अधिमान्यता नहीं दी जाना चाहिये।

1. प्रथम बिन्दु पर विचार करने पर स्थिति यह है कि जब अनावेदक क्र–1 ने कोटवार पद के लिये आवेदन दिया, उसकी आयु 19 वर्ष रही है , जबकि कोटवार पद के प्रत्यासी हेतु आयु 21 वर्ष होना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख में आये तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पूर्व कोटवार फुन्दी ने सशर्त त्याग पत्र देते हुये बताया है कि वह 70 वर्ष का है तथा पिछले कई वर्षो से उसका नाती सुमितकुमार कोटवारी कार्य में उसका हाथ बटाकर सहयोग करता आ रहा है इसलिये उसका त्यागपत्र स्वीकार कर सुमितकुमार को कोटवार नियुक्त कर दिया जावे, तब क्या सुमितकुमार 19 वर्षीय होने से अस्थाई कोटवार नियुक्त किया जा सकता है ?

   भू राजस्व संहिता, 1969 (म0प्र0) – धारा 230 – कोटवारी नियम–2 तीन – उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष – भूतपूर्व कोटवार का पुत्र अथवा पुत्र का पुत्र – तीन वर्ष से अधिक कोटवारी का अनुभव – ऐसा 18 वर्षीय उम्मीदवार कोटवार नियुक्त किया जा सकता है। कैलाश विरूद्व माधौसिंह 1985 रा0नि0 165 से अनुसरित

2. प्रकरण में आये तथ्यों अनुसार दूसरे बिन्दु पर विचार करने पर स्थिति यह है कि अनावेदक क्र–1 त्यागपत्र देने वाले कोटवार फुन्दी खॅगार के पुत्र का पुत्र है जबकि

आवेदक फुन्दी के भाई का पुत्र है ऐसी स्थिति में कोटवार पद पर नियुक्ति में अनावेदक क्र–1 त्यागपत्र देने वाले कोटवार फुन्दी खॅगार के पुत्र का पुत्र होने से नियुक्ति में अधिमान्यता दी जावेगी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार वृत्त असवार ने अनावेदक क्र–1 को कोटवार नियुक्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से कलेक्टर भिण्ड एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना ने अनुविभागीय अधिकारी लहार के निर्णय दिनांक 14.12.2006 को त्रृटिपूर्ण मानकर निरस्त करते हुये नायव तहसीलदार असवार के आदेश दिनांक 20.01.2006 को उचित ठहराया है जिसके कारण कलेक्टर भिण्ड एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं।

5/ प्रकरण में यह भी विचार योग्य है कि नायव तहसीलदार असवार ने आदेश दिनांक 20.1.06 से अनावेदक क्रमांक –1 की नियुक्ति ग्राम अरूसी के कोटवार पद पर अस्थाई रूप से की है तथा दिनांक 20.1.06 को ही प्रकरण में स्थाई कोटवार नियुक्ति हेतु ग्रामसभा ग्राम अरूसी से प्रस्ताव/ठहराव मंगाने का निर्णय लेते हुये प्रकरण में आगामी तिथि 27.2.2006 को नियत की है । फलस्वरूप आवेदक को स्थाई कोटवार पद पर नियुक्ति प्रकिया में स्वयं् को सफल उम्मीदवार सिद्व करने का उपचार प्राप्त है । निगरानी में आये सभी तथ्यों पर मनन करने से यही निष्कर्ष सामने आता है कि अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 9.1.2009 में विस्तृत विवेचना कर निकाले गये निष्कर्ष एंव कलेक्टर भिण्ड व्दारा आदेश दिनांक 17.9.2007 में विस्तृत विवेचना कर निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिनके कारण विचाराधीन निगरानी में समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 7/2007–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09.01.2009 एंव कलेक्टर भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 69/2006–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17.9.2007 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर